न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, चन्द्रशेखर भण्डारी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 136/2018 (वाद)

दायर दिनांक – 30/08/2018

निर्णय दिनांक – 29/07/2019

अनवान

1. माधु पिता खेमा जाट निवासी मकनपुरिया तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. सत्यनारायण पिता बद्रीलाल जाट निवासी मकनपुरिया तहसील रेलमगरा
2. कैलाशी पिता बद्रीलाल जाट पत्नि मगनीराम निवासी मकनपुरिया हाल जाशमा
3. उगमा पिता बद्रीलाल जाट पत्नि सत्यनारायण निवासी मकनपुरिया हाल काबरा
4. बाली पिता बद्रीलाल पत्नी भैरूलाल निवासी मकनपुरिया हाल निवासी लुराणा
5. चुन्नीबाई विधवा बद्रीलाल निवासी मकनपुरिया तहसील रेलमगरा
6. आई. सी. आई. सी. आई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक दरीबा
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: निर्णय :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम शिवपुरा में वादी के आधिपत्य एवं प्रतिवादीगण सख्या 01 से लगायत 05 तक की खातेदारी की आराजी सख्या 140,141, 143, 144, 123, कुल किता 05 कुल रकबा 18.16 बीघा कृषि भूमियां स्थित है। वादपत्र की कलम सख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण में स्थित है। 01 से लगायत 05 को विरासत से प्राप्त हुई है। जिससे वादी के पिता खेमा पिता किशना के दो जाईन्दा पुत्र थे। जिसमें से एक वादी एवं दुसरा पुत्र संतान प्रतिवादी सख्या 01 से लगायत 04 के पिता एवं प्रतिवादी सख्या 05 के पति थे अर्थात किशना जी के दो पुत्र बद्रीलाल व माधु थे किन्तु बद्रीलाल की बजाय उनके विधिक वारिसान जो प्रतिवादी सख्या 01 से लगायत 05 है। उनके नाम पर उक्त कृषि भूमियां खातेदारी हक से अंकित है यह कि वादी के पिता खेमा की मृत्यु होने के पश्चात ग्राम मकनपुरिया के राजस्व अभिलेख में

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी का नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हो गई किन्तु ग्राम शिवपुरा की कृषि भूमियों में वादी का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित होने से रह गया प्रमाण में ग्राम मकनपुरिया की वर्तमान जमाबंदी एवं संवत 2031 से 2037 तक की जमाबंदीया प्रस्तुत की जा रही ह वादपत्र की कलम सख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि पर मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण 01 से लगायत 05 तक आराजी सख्या 123 में 1/4 हिस्से एवं शेष आराजियात में 1/2 हिस्से के हक से ही काश्त कर रहे है। किन्तु स्व. खेमा की मृत्यु के पश्चात क्यों कि वादी ग्राम मकनपुरिया के निवासी होने से एवं तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा ग्राम शिवपुरा की कृषि भूमि के बारे में वादी का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित न कर, केवल मात्र वादी के भाई बद्रीलाल के नाम पर ही नामान्तरण निर्णित कर दिया गया प्रमाण में ग्राम शिवपुरा के नामान्तरण सख्या 07 की प्रमाणित प्रति एवं संवत 2031 से 2042 तक की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है एवं बद्रीलाल की भी मृत्यु हो जाने से इनके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण सख्या 01 से लगायत 05 के नाम पर कृषि भूमियां चली आ रही है। जबकी वादग्रस्त कृषि भुमियो में स्व. खेमा जी की सम्पतियों में वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 01 से 05 तक का भी 1/2 हिस्से नाम अंकित होना चाहिये था। यह कि तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा वादी का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि में अंकित नहीं करने से, जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 01 से लगायत 05 तक मौके पर 1/2 –1/2 हक से काबिज होकर कृषि भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहे है। केवलमात्र राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम अंकित नहीं होने से उक्त वादपत्र खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् प्रस्तुत किया जा रहा है यह कि प्रतिवादी सख्या 06 के यहां प्रतिवादी सख्या 01 एवं 05 के द्वारा कृषि भूमिया रहन होने से एवं प्रतिवादी सख्या 07 भुमिधारक होने से सम्भावित आपत्तिवश उन्हे पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है वादी के द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादी सख्या 01 से लगायत 05 तक को कृषि भुमियो को उसके नाम पर दर्ज कराने हेतु कहा गया एवं अन्तिम मर्तबा आज से करीब दो माह पूर्व कहा गया। किंतु प्रतिवादीगण सख्या 01 से लगायत 05 ने वादी के नाम पर कृषि भूमियां अंकित कराने के लिये इन्कार कर दिया जिससे वादपत्र का हेतुक दो

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

माह पुर्व बमुकाम मकनपुरिया में उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है प्रार्थना कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण सख्या 01 से लगायत 05 तक के विरूद्ध वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी संख्या 123 में 1/4 एवं शेष आराजीयात में 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत डिक्री प्रदान की जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सख्या 01 से लगायत 05 ने उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा किये जाने पर अपनी सहमति प्रकट की गयी। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 माधुलाल का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श–01 से लगायत 07, 09, 10, 11, 12 नामान्तरकरण संख्या 07 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–08 के प्रस्तुत की गयी।

पक्षकरान को सुना गया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी अपने वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवपुरा की आराजी सख्या 140,141, 143, 144, 123, कुल किता 05 कुल रकबा 18.16 बीघा भूमि में से आराजी संख्या 123 में 1/4 एवं शेष आराजीयात में 1/2 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। रेकार्ड में अंकन भूमियों का रहन पूर्ववत रखा जावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/07/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

29/7/19

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या :— 136 / 2018

अनवान

वादी पक्ष :—

1. माधु पिता खेमा जाट निवासी मकनपुरिया तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :—

1. सत्यनारायण पिता बद्रीलाल जाट निवासी मकनपुरिया तहसील रेलमगरा
2. कैलाशी पिता बद्रीलाल जाट पत्नि मगनीराम निवासी मकनपुरिया हाल जाशमा
3. उगमा पिता बद्रीलाल जाट पत्नि सत्यनारायण निवासी मकनपुरिया हाल काबरा
4. बाली पिता बद्रीलाल पत्नी भैरूलाल निवासी मकनपुरिया हाल निवासी लुराणा
5. चुन्नीबाई विधवा बद्रीलाल निवासी मकनपुरिया तहसील रेलमगरा
6. आई. सी. आई. सी. आई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक दरीबा
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसील रेलमगरा

दावा :— वाद बाबत् घोषणा

वादी की ओर से :— मुकेश शर्मा, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से :— कुलदीपसिंह, अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 29 / 07 / 2019 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवपुरा की आराजी सख्या 140,141, 143, 144, 123, कुल किता 05 कुल रकबा 18.16 बीघा भूमि में से आराजी संख्या 123 में 1 / 4 एवं शेष आराजीयात में 1 / 2 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। रेकार्ड में अंकन भूमियों का रहन पूर्ववत रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 29 / 07 / 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा